संख्या-115/2022/1676/22-2-2022-21(10)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री श्यामदास, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19077/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम-07-06-2022) दिनांक-14-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री श्यामदास, जो मोहल्ला हुसैनपुरा, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने, विमला (मृतका) द्वारा छेड़खानी किये जाने की शिकायत पिता से करने तथा विमला से उसकी शादी नहीं करने पर उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। वादी द्वारा विमला की शादी अन्यत्र तय कर देने की रंजिश में दिनांक 18.07.2006 को तमंचा से गोली मारकर विमला नामक लड़की की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-653/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506(2) के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एक्स कैडर पोस्ट) कोर्ट सं0-26, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 19.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.08.2021 तक 14 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 32 वर्ष 07 माह है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध कर सकने, भविष्य में अपराध में लिप्त होने से इंकार नहीं किया जा सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने, विमला (मृतका) द्वारा छेड़खानी किये जाने की शिकायत पिता से करने एवं विमला की शादी अन्यत्र तय कर देने की रंजिश में दिनांक 18.07.2006 को तमंचा से गोली मारकर विमला नामक लड़की की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री श्यामदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में रिट याचिका संख्या-36/2022 राजकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-47159) पुत्र श्री श्यामदास, निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

संख्या-115/2022/1676(1)/22-2-2022 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- श्री विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-115/2022/1676/22-2-2022-21(10)/2022

दिनांक 11 अगस्त, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री श्यामदास, जो मोहल्ला हुसैनपुरा, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने, विमला (मृतका) द्वारा छेड़खानी किये जाने की शिकायत पिता से करने तथा विमला से उसकी शादी नहीं करने पर उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। वादी द्वारा विमला की शादी अन्यत्र तय कर देने की रंजिश में दिनांक 18.07.2006 को तमंचा से गोली मारकर विमला नामक लड़की की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-653/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 506(2) के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एक्स कैडर पोस्ट) कोर्ट सं0-26, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 19.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.08.2021 तक 14 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 32 वर्ष 07 माह है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध कर सकने, भविष्य में अपराध में लिप्त होने से इंकार नहीं किया जा सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने, विमला (मृतका) द्वारा छेड़खानी किये जाने की शिकायत पिता से करने एवं विमला की शादी अन्यत्र तय कर देने की रंजिश में दिनांक 18.07.2006 को तमंचा से गोली मारकर विमला नामक लड़की की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री श्यामदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in